न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 34/2019

प्रार्थी

प्रतापराम उर्फ पताराम पुत्र धुडाराम जाति रबारी निवासी थापन जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री **कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 19.04.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 188/891,199,408 रकबा क्रमशः 2.1853,1.9587 व 1.1412 हैक्टयर भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के पिता स्व. धूडाजी के देहान्त के बाद भूमि की खातेदारी प्रार्थी व प्रार्थी की माता मोरोदेवी के नाम दर्ज हुई धुडाजी के देहान्त के बाद हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत उक्त भूमि पर धूडाजी के वारिसान प्रार्थी व प्रार्थी की माता मोरोदेवी काबिज हुए जिस पर धुडाजी के वारिसान के नाम उक्त भूमिया का फौतदगी नामान्तरकरण हल्का पट्वारी को भरना था यानि धुडाज़ी के स्थान पर प्रार्थी पताराम व प्रार्थी की माता मोरोदेवी के नाम दर्ज करना था जिस पर हल्का पअवारी ने नामान्तकरण भरते वक्त सहवन से एक लिपिक की त्रुटि से पताराम का नाम प्रतापराम लिख दिया गया जबकि पताराम लिखना था लेंकिन हल्का पटवारी थापन द्वारा पेन ऑफ स्लीप के कारण पताराम का नाम प्रतापराम लिख दिया गया जो कि लिपिकीय त्रुटि की श्रेणी में आता है। अतः उक्त त्रुटि को शुद्व किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहने के कारण प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर विप्रार्थी संख्या 2 व 3 को तर्क किया गया [illegible] की एकपक्षीय बहस सुनी दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता [illegible] किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि [illegible] थापन [illegible] सिवाना में खेत खसरा संख्या 188/891,199,4[illegible] 1.1412 हैक्[illegible]भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी का 1/4 [illegible] का रेकर्डेड खातेदार [illegible] के पिता स्व.धूडाराम के फौतदगी नामान्तकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम पताराम के स्थान पर प्रतापराम अंकित कर दिया। प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा राशनकार्ड,मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड में पताराम नाम अंकित है। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त कर

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.08.11 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रतापराम के स्थान पर पताराम उर्फ पताराम नाम शुद्व किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत रेकर्ड का गंभीरता से अध्ययन व मनन किया गया। पत्रावली के सलंग्न जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ग्राम थापन तहसील सिवाना के खेत 188/891,199,408 रकबा क्रमशः 2.1853,1.9587 व 1.1412 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी का नाम प्रतापराम पुत्र धुडाराम हिस्सा 1/4 दर्ज है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त राजकीय दस्तावेज यथा राशनकार्ड,मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड में पताराम नाम अंकित है, ग्राम पंचायत द्वारा पताराम व प्रतापराम पुत्र धुडाराम जाति रबारी एक ही व्यक्ति का प्रस्तुत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्वि किया जाना न्योयोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा थापन पटवार क्षेत्र थापन भू.अ.नि थापन तहसील सिवाना के जमाबंदी संवत् 2071–2074 नया खाता संख्या 77,76 में अंकित खसरा संख्या 188/891,199,408 रकबा क्रमशः 2.1853,1.9587 व 1.1412 हैक्टयर भूमि में खातेदार प्रतापराम नाम शुद्वि करते हुये प्रतापराम के स्थान पर पताराम उर्फ प्रतापराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सिवाना को आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

आदेश आज दिनांक 19.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.08.11 17:37:18 IST
Reason: SelfAttested